IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.4(100)जैवविविध/विधि/पंरा/2012/3511 दिनांक : 03-3-2020

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त (राजस्थान)।

विषय :– जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के गठन बाबत।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 3199 दिनांक 19.12.2019 एवं क्र0 3385 दिनांक 06.02.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्रों के साथ राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड से प्राप्त प्रारूप संलग्न प्रेषित कर आपसे अपेक्षा की गई थी कि राज्य की समस्त ज़िला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के गठन से सम्बन्धित जानकारी उक्त प्रारूप में ग्राम पंचायतवार स्कैन करवाया जाकर, जरिए ई–मेल भिजवाया जाये। इस प्रपत्र में समिति सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर सहित सूचना दी जानी थी। वर्तमान में चूंकि पंचायती राज संस्था का कार्यकाल समाप्त हो कर नये चुनाव होना प्रक्रियाधीन है। ऐसी स्थिति में समिति सदस्यों के हस्ताक्षर सहित सूचना भिजवाया जाना सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा है।

अतः आप अपने ज़िले की समस्त पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों एवं ज़िला परिषद् की साधारण सभाओं में तत्समय जैव प्रबन्ध समितियों के गठन बाबत पारित प्रस्तावों (कार्यवाही विवरण रजिस्टर की छायाप्रति) की स्कैन प्रतियां आवश्यक रूप से rajpr.dlr@rajasthan.gov.in/ *rajpr.dsalegal@rajasthan.gov.in* पर जरिए ई–मेल सात दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाये।

(डॉ0 आरुषी मलिक)
विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0 राज, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, प्लॉट नं0 7, द्वारिका पुरी, जमना लाल बजाज मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर को सूचनार्थ।
4. ए0सी0पी0 मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने हेतु।

उपायुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव(प्रथम)

Scanned with CamScanner